

T.S. N. - 24/EE/2024-25, Dt 04.03.2025

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND



अपार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

TS Estimate

BLOCK : Munsiyari
DISTRICT : Pithoragarh
STATE : UTTARAKHAND
YEAR : 2024-25

NAME OF WORK : Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh. (ZILA YOJNA)

CONSTRUCTION COST : Rs. 10.00 Laes

EXECUTIVE AGENCY

IRRIGATION DIVISION, DHARCHULA,
PITHORAGARH

CIRCLE OFFICE

IRRIGATION WORKS CIRCLE,
PITHORAGRH

सिंचाई खण्ड धारचूला
उपखण्ड चतुर्थ, गौचर।

योजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम टिमटिया की कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन।

आंख्या


जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी० है। इस जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ग्राम टिमटिया जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़- मुनस्यारी मोटर मार्ग पर लगभग 76 कि०मी० की दूरी पर रामगंगा नदी के बायें पार्श्व पर स्थित है।

विगत वर्षों व इस वर्ष मानसून काल में हुई भारी बारिश एवं अतिवृष्टि के कारण ग्राम टिमटिया में कई मकान एवं कृषि भूमि, रामगंगा नदी के तीव्र कटाव से खतरे की जद में आ गये हैं तथा भविष्य में भी इस गाँव के आवासीय भवनों को रामगंगा नदी के कटाव से खतरा बना हुआ है। इस गाँव के आवासीय भवनों को बचाने हेतु रामगंगा नदी के बायें पार्श्व पर कटाव निरोधक कार्य शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है। अतः भवनों एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु इस योजना का गठन किया गया है।

वर्तमान में कार्य स्थल के अनुसार आवश्यकता के दृष्टिगत नदी में गाँव के किनारे आवश्यक स्थानों पर 29 सं०, साईज 3.0x1.5x1.5 मी०, दो लेयर एवं एक लेयर में वायर क्रेट व 05 सं० स्टड का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे मानसून अवधि में गाँव को पुनः खतरा उत्पन्न न हो। स्थानीय जनता एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त प्राक्कलन का गठन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रु० 10.00 लाख तथा लाभ लागत अनुपात 2.62:1 आंका गया है।

वर्तमान में योजना का गठन लो० नि० वि० की ऑन लाईन स्वीकृत ब्लॉक मुनस्यारी की दरों के अनुसार वर्ष 2024-25 दिनांक 24.08.2024 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी० एस० टी० सम्मिलित करते हुए किया गया है।

संस्तुति - ग्राम टिमटिया की उपरोक्त स्थित को देखते हुए कटाव निरोधक कार्य किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या 744/जि०यो -07- /प्र०वि०स्वी० /2024-25 दिनांक 21.02.2025 द्वारा ग्राम टिमटिया में कटाव निरोधक कार्य हेतु रु० 10.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त रु० 3.00 लाख वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना तकनीकी स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता-IV
सिंचाई खण्ड धारचूला

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचूला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

**Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on
Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.**

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.	10,00,083.35	
	Say	10.00	Lakhs


Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 744 / जि०यो०-7 / प्र०वि०स्वी० / 2024-25 दिनांक: 21 फरवरी, 2025

राज्य सरकार, उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 01/168/चा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिषद निर्धारित कर एवं अपर राशि, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राक्कानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या-30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहरताक्षरी के निर्वहन पर रखा गया है।

राजकीय सिंचाई धारचूला विभाग का जि०यो० 2024-25 हेतु अनुमोदित परिषद रु० 125.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला को प्रथम किस्त हेतु कुल 79.50 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत कार्यालय पत्रांक 206/29.07.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि 45.50 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है - (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	मद/कार्य का नाम/सं०	2024-25 हेतु अनुमोदित परिषद				प्रथम किस्त हेतु निर्गत धनराशि	द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग			कुल योग
		रा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल योग		रा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	
1	नहर निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य/ 12 सं०	40.77	4.00	-	44.77	20.57	15.00	0.00	0.00	15.00
2	बाढ़ सुरक्षा/कटाव निरोधक कार्य/ 20 सं०	31.08	21.00	25.00	77.08	55.78	6.50	21.00	3.00	30.50
3	उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार कार्य/ 01 सं०	3.15	-	-	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	75.00	25.00	25.00	125.00	79.50	21.50	21.00	3.00	45.50

कार्यो का विवरण -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	कार्य के ईष्टकर की धनराशि	कार्य में 2023-24 तक प्राप्त धनराशि	कार्य में 2023-24 तक व्यय धनराशि	वर्ष 2024-25 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त हेतु प्राप्त धनराशि	वर्ष 2024-25 में द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग	किये गये कार्य का सक्षिप्त विवरण एवं धनराशि मांग का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत पावू योजनाएं :-									
1	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत मांगई नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	22.05	22.05	17.05	17.05	1.30	1.30	-	-
2	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार एवं नैन कटर हास्करटींग टैंक के निर्माण की योजना। (सामान्य)	26.50	24.90	21.75	21.75	3.15	3.15	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-									
3	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सुपौरी नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	18.00	18.00	8.23	8.23	6.77	6.77	-	-
4	विकासखण्ड धारचूला में एलागाड नाले के कार्य पार्श्व पर विधा काग पक्कात गुग्गा लोक सैक धनराशि की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	12.00	7.25	7.25	4.75	4.75	-	-
5	विकास खण्ड मुन्स्वारी के अन्तर्गत गाजकोट नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	15.00	11.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
6	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम धारमानू में टैंकवाले नाले में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	-	-
7	विकासखण्ड मुन्स्वारी में ग्राम जोरा के ताक सुधियावादी में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	-
8	विकासखण्ड मुन्स्वारी में ग्राम लौकिक में पुरमा सेली में नकली जल सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	12.00	12.00	3.00	3.00	-	-
9	विकास खण्ड मुन्स्वारी के अन्तर्गत ग्राम तल्ल धोरपट्टा के पास मलखोला नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	10.50	10.50	4.50	4.50	-	-

(Handwritten Signature)

10	विकासखण्ड धारगुला में वन्यजंतु कवच के निर्माण कार्य में लोक जीवाढ के पारदर्शिता एवं कृषि भूमि की नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
11	विकासखण्ड मुनरवारी के ग्राम विंग में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
12	विकासखण्ड मुनरवारी के ग्राम वडीटी के लोक मुक्तक में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
13	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम विंग में कटाव निरोधक कार्य। (टीएसीपी)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
14	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम गो में कटाव निरोधक कार्य। (टीएसीपी)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
15	विकासखण्ड मुनरवारी के ग्राम वलुगेट के तला भोरेपट्टा में कटाव निरोधक कार्य। (टीएसीपी)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
16	विकासखण्ड मुनरवारी में ग्राम वरवारी के लोक नग वली तला में आकस्मिक भवनों के पास भाखुवेला नाले में कटाव निरोधक कार्य। (टीएसीपी)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-
वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-									
17	विकास खण्ड धारगुला में वन्यजंतु कवच के घेर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
18	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम गल में धावा नाले में सुस्थालक कार्य। (सामान्य)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
19	विकासखण्ड धारगुला में निगुवा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
20	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम वरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य। (अनुदान संख्या-30 एससीपी)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
21	विकासखण्ड मुनरवारी के अन्तर्गत ग्राम टिखटिया में ओसना गंधे में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टीएसीपी)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-									
22	विकासखण्ड मुनरवारी में सेविता नहर के जीवोद्धार का कार्य। (सामान्य)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
23	विकासखण्ड धारगुला में बन्दरखेत नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	12.50	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
24	विकासखण्ड धारगुला में दुगाडोली नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
25	विकासखण्ड धारगुला में फशागाव नहर के मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत एवं नहर के विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
26	विकास खण्ड धारगुला में ग्राम वली के लोक जलधर में ग्राह सुस्थालक कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
27	विकास खण्ड धारगुला में ग्राम वलुगेट के भोरगाव में सुस्थालक कार्य। (सामान्य)	9.80	-	-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
28	विकासखण्ड मुनरवारी में वडीटी नहर के जीवोद्धार का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
29	विकासखण्ड मुनरवारी में ग्राम वली में सुस्थालक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एससीपी)	15.00	-	-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
30	विकासखण्ड मुनरवारी में ग्राम वली में सुस्थालक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एससीपी)	12.00	-	-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।
31	विकासखण्ड मुनरवारी के अन्तर्गत ग्राम तिमखण्ड की मुजगढ नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एससीपी)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत योजनाएँ :-									
10	विकासखण्ड धारगुला में बलुवाकोट काले के चूनेवा गा. में लोक जीवा. के प्रस्ताव पर वृषि भूमि की नदी के कटाव में सुधार हेतु कार्य निरूपायण कार्य। (साक्षात्)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
11	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम सिंग में कटाव निरोधक कार्य। (साक्षात्)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
12	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम जौरी के लोक भूखण्ड में कटाव निरोधक कार्य। (साक्षात्)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
13	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम सिंग में कटाव निरोधक कार्य। (टीएचसीओ)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
14	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम गा. में कटाव निरोधक कार्य। (टीएचसीओ)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
15	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम बलुवाकोट के गावा मोहादेवा में कटाव निरोधक कार्य। (टीएचसीओ)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
16	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम रागाली के लोक नया वाली काले में अन्तर्गत फसल के पास गावसुओला काले में कटाव निरोधक कार्य। (टीएचसीओ)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-
वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएँ :-									
17	विकास खण्ड धारगुला में बलुवाकोट के घर में कटाव निरोधक कार्य। (साक्षात्)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
18	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम घले में गावा नाले में सुस्थापक कार्य। (साक्षात्)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
19	विकासखण्ड धारगुला में सिंगुवा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (साक्षात्)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
20	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम चरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (अनुदान संख्या-30 एसओसीपीओ)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
21	विकासखण्ड धारगुला में अन्तर्गत ग्राम सिंगुवा में ओखला फसले में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टीएचसीओ)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत योजनाएँ :-									
22	विकासखण्ड धारगुला में सिंगुवा नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (साक्षात्)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
23	विकासखण्ड धारगुला में बन्दरवाला नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य। (साक्षात्)	12.50	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
24	विकासखण्ड धारगुला में दुग्गातोली नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य। (साक्षात्)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
25	विकासखण्ड धारगुला में फसागाव नहर के मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य। (साक्षात्)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत एवं नहर के विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
26	विकास खण्ड धारगुला में ग्राम रागी के लोक जलधर में बाढ़ सुस्थापक कार्य। (साक्षात्)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं वृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
27	विकास खण्ड धारगुला में ग्राम बलुवाकोट के मोहागाव में सुस्थापक कार्य। (साक्षात्)	9.80	-	-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान-माल एवं वृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
28	विकासखण्ड धारगुला में जौरी नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (साक्षात्)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
29	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम देहाली में सुस्थापक/गाड़ी निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओसीपीओ)	15.00	-	-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं वृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
30	विकासखण्ड धारगुला में ग्राम जौरी में सुस्थापक/गाड़ी निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओसीपीओ)	12.00	-	-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं वृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।
31	विकासखण्ड धारगुला में अन्तर्गत ग्राम सिंगुवा में भुजगाव नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओसीपीओ)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं वृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य करने हेतु धनावटन आवेक्षित है।

32	ज-एच विकासखण्ड के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत वन वन के संके. गजेल की आरक्षण से सुरक्षा हेतु कटाव विस्तार कार्य। (अनुदान रा०-30 ए०सी०पी०)	9.80				3.00	-	3.00	सम्बन्धित के जन-संरक्षण एवं वन की सुरक्षा के लिए कार्य हेतु अनुदान कार्य के लिए अनुदान रा० 30
33	ज-एच विकासखण्ड के विकासखण्ड मुसकरी के अन्तर्गत वन वन के संके. गजेल की आरक्षण से सुरक्षा हेतु कटाव विस्तार कार्य। (अनुदान रा०-30 ए०सी०पी०)	8.00				3.00	-	3.00	सम्बन्धित के जन-संरक्षण एवं वन की सुरक्षा के लिए कार्य हेतु अनुदान कार्य के लिए अनुदान रा० 30
34	विकासखण्ड मुसकरी के अन्तर्गत प्राय-विस्तार के संके. ताला रिगटिंग की सुरक्षा हेतु से कटाव विस्तार कार्य। (अनुदान रा०-31 ए०सी०पी०)	10.00				3.00	-	3.00	सम्बन्धित के जन-संरक्षण एवं वन की सुरक्षा के लिए कार्य हेतु अनुदान कार्य के लिए अनुदान रा० 31
योग		429.65	240.45	148.37	148.37	125.00	79.50	45.50	

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/या०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल ₹ 45.50 लाख (पैंतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में वजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिव्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- वजट मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर वजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०ए००४ पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (शे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम०ओ०यू० अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुरंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी०एल०ए० से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच०ओ०डी० कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी०ए०सी० से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी०ए०सी० स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी०ए०सी० कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी०ए०सी० आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- 18- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
- 19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।

OB

हरीश सिंह

विधायक

42 विधान सभा क्षेत्र-धारचूला
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)



सदस्य विधान सभा, उत्तराखण्ड

देहरादून आवास : 41, विधायक ट्राई-इंट हॉस्पिटल,
रेसकोर्स, देहरादून-248001
पिथौरागढ़ आवास : ग्राम-मदकोट, पोस्ट आठ-मदकोट,
तहसील-मुनस्यारी, जिला-पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड) 262554
मो० +91-7055700007
E-mail : harishdhami@gmail.com

पत्रांक.....

दिनांक 25/05/2024

अधिशारी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड धारचूला

विषय:- विधान सभा धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी अन्तर्गत निम्न स्थलो मे सुरक्षात्मक कार्य कराने के सम्बन्ध मे।

वर्षाकाल मे हुई अतिवृष्टि के कारण निम्न स्थलो मे भुकटाव व मकानो की सुरक्षा की जानी अति आवश्यक है।
अतः तत्काल जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

Name of the Work	
1	जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम टिमटिया (एस0टी0पी ग्राम) के तोक तल्ला टिमटिया की रामगंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य।
2	जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सिमलथड (एस0सी0पी ग्राम) की भुजगड नदी से कटाव निरोधक कार्य।

हरीश सिंह
विधायक 42-विधान सभा
धारचूला

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

SALIENT FEATURES

1 Name of Project	Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.
2 Name of District	Pithoragarh
3 Name of River	Ramganga River
4 Area affected	
a) Houses	10 Nos
5 Length of Embankment	100 mtr at left bank of Ramganga river.
6 Main works to be done under this project	29 Nos wirecrate in 1st and 2nd layer, and 05 Nos Stud.
7 Cost of Scheme	Rs 10.00 Lacs
8 Benefit Cost Ratio	2.62 : 1


Assistant Engineer-IV
Sub Div. Gauchar

Executive Engineer
I.D, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

STATEMENT-II OF FLOOD DAMAGES AND RELIEF MEASURES AFTER COMPLETION OF THE SCHEME

1 Name of Project	Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.	
2 Name of River	Ramganga River	
3 Area protected by the scheme		
a) Houses	10	Nos (Approx)
b) Land	0.20	Ha
4 Population protected by the scheme	75	Nos (Approx)
5 Annual flood losses after completion of the scheme	No damages expected after completion of the scheme	
6 Population likely to be still affected	NiL	
7 Frequency of flood	Every year in rainy season	
8 Depth of inundation in m	NiL	
9 Damages to crops	NiL	
10 Total damages in lacs	NiL	
11 Indicate approximate estimate of probable expenditure that may still be necessary	NiL	
12 Net amount of flood losses	NiL	


Assistant Engineer-IV
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

STATEMENT OF AVERAGE ANNUAL LOSSES FOR THE YEAR 2024-25

1 Area endangered by erosion by river .			0.20	Ha
2 Houses endangered by erosion by river.			10	Nos
3 Cost of 1.0 Ha land @ Rs 38.50 Lacs/Ha			Rs 7.70	Lacs
4 Cost of houses				
a) <u>05 Nos Pucca Houses</u>				
i) 5 X 8.20 m X 6.10 m	=	<u>250.10</u> Sqm		
Total		250.10 Sqm	@11000/Sqm	26.26 Lacs
b) 5 Nos semi Pucca / kaccha Houses				
i) 5 X 6.80 m X 5.10 m	=	<u>173.40</u> Sqm		
Total		173.40 Sqm	@4840/Sqm	8.01 Lacs
			Total	Rs 41.97 Lacs
5 Net average losses due to erosion assuming 10 years period			Rs 41.97	Lacs
6 Average annual losses			Rs 4.20	Lacs


Assistant Engineer-IV
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

STATEMENT III BENEFIT-COST ANALYSIS

I Name of Project	Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.		
i) Net annual losses due to flood	Rs	4.20	Lacs
ii) Net annual losses after completion of the scheme		NiL	
II Cost			
a) Cost of Scheme	Rs	10.00	Lacs
b) Cost of existing works		NiL	
c) Annual interest payable @ 10% on capital cost	Rs	1.00	Lacs
d) Annual depreciation @ 2% on capital cost	Rs	0.20	Lacs
e) Recurring annual maintainence charges @ 4% on capital cost	Rs	0.40	Lacs
	Total	Rs	1.60 Lacs

$$\text{Benefit Cost Ratio} = \frac{4.20}{1.60} = 2.62 : 1$$


Assistant Engineer-IV
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या 615/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 15.02.2023 द्वारा जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित सर्किल दरों को उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)(संशोधन) नियमावली 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सर्किल दरों को युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 934/म0वि0नि0/2022-23 दिनांक 15.02.2023 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि/समस्त आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की नई सर्किल दरें दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी होंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांक 16 फरवरी 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या :- 992 /पॉच- 02 /2022-23

दिनांक 16 फरवरी 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3-जिला निबन्धक, जनपद पिथौरागढ़।

4-समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद पिथौरागढ़।

5-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

6-समस्त उप निबन्धक, जनपद पिथौरागढ़।

7-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, जनपद पिथौरागढ़।

8-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 केन्द्र पिथौरागढ़ को विभागीय

वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।



(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula
Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of
Ramganga river at block Munsiyari of Distt Pithoragarh.

BILL OF QUANTITY

Block : Munsiyari

District : Pithoragarh

S.No.	Reference to SOR	Item of Work	Quantity	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
PROTECTION WORK						
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	128.74	Cum	544.90	70150.43
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders, as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	297.00	Cum	2508.94	745155.18
3	MISCELLANEOUS 1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty,T&P etc. complete as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	26.33	Cum	1223.80	32222.65
Total						8,47,528.26
Add 18% G.S.T.						1,52,555.09
Grand Total						10,00,083.35
Say						10.00

Checked
[Signature]

[Signature]
Junior Engineer
IVth Sub Division
Gauchar

[Signature]
Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

[Signature]
Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या 744/जि0यो0-7/प्रा0वि0स्वी0/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के सन्दर्भ में जिला योजना मद 2024-25 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ केविकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम टिमटिया के टोक तल्ला टिमटिया की रामगंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य (अनुदान संख्या-31 टी0एस0पी0) का प्राविधिक आगमन की कुल लागत ₹0 10.00 लाख (₹0 दस लाख मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के समय उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों/शर्तों का पालन करते हुए स्वीकृत योजना में प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययविक्रय न किया जाए।

उक्त प्राविधिक स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक रजिस्टर में क्रम संख्या- 24/EE/2024-25 दिनांक 04.03.2025 में अंकित की गयी है।

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला।

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

SCHEDULE OF RATE

District - Pithoragarh Effective Date- 24-08-2024

Zone : II - Distance by foot: 30 Mtr to 1.00km

Block - 49 Munsyari

Block : 49-Munsyari

S.No	S O R Item No.	Item Of Work	Rate in Rs	Unit	Index rate (in %)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.	544.90	Cum	0.00	0.00	544.90
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	2484.10	Cum	1.00	24.84	2508.94
3	MISCELLANEOUS 1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty,T&P etc, complete as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1223.80	Cum	0.00	0.00	1223.80

later checked
[Signature]

[Signature]
Junior Engineer
IV Sub Division
Gauchar

[Signature]
Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

[Signature]
Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula



PWD UTTARAKHAND
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MISCELLANEOUS
For Block 49 Munsiri

Year :- 2024-25

Effective From:-24-08-2024

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

CHAPTER-1 - General Items

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	88.60	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	35.90	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	142.70	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause 1603.2.	337.40	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	70.60	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	<u>544.90</u>	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,752.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	4,866.90	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	<u>1,223.80</u>	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,880.40	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	2,287.10	Cum
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	<u>2,484.10</u>	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG		

Anti Erosion work for protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.



DETAILS OF MEASUREMENT

Item of Work	No	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.						
1st Layer left bank	1.00	10	3.00	1.50	$(0.45+1.35)/2$	40.50 Cum
2nd Layer Left bank	1.00	10	3.00	0.70	$(0.30+0.70)/3$	10.50 Cum
1st Layer left bank	1.00	9	3.00	1.50	$(0.45+1.50)/4$	39.49 Cum
Stud, 1st layer	1.00	2x5	3.00	1.50	$(0.45+1.25)/5$	38.25 Cum
					Grand Total	128.74 Cum
					Say	128.74 Cum
Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG						
1st Layer Left bank	1	10	3.00	1.50	1.50	67.50 Cum
2nd Layer Left bank	1	10	3.00	1.50	1.50	67.50 Cum
1st Layer Left bank	1	9	3.00	1.50	1.50	60.75 Cum
Stud, 1st layer	1	2x5	3.00	1.50	1.50	67.50 Cum
Stud, 2nd	1	5	3.00	1.50	1.50	33.75 Cum
					Grand Total	297.00 Cum
					Say	297.00 Cum
Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)						
2nd Layer Left bank	1	10	3.00	$(0.30+0.60)/2$	1.00	13.50 cum
Stud	1	2x5	3.00	$(0.30+0.60)/2$	0.95	12.83 cum
					Grand Total	26.33 cum
					Say	26.33 cum


Junior Engineer
IVth Sub Division
Gauchar


Assistant Engineer- IV
Sub Division
Gauchar

Anti Erosion work for Protection of Timtiya village (Tok Talla Timtiya) on
Left Bank of Ramganga river




SUB DIV-IV
GAUCHAR


A.E
SUB DIV-IV
GAUCHAR

E.E
I.D. DHARCHULA



Proposed Work

Village

Renganga River

Image © 2025 Airbus

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSED WORK



Thal, Uttarakhand, India
W4rv-439, Munsyari - Thal Road, Thal, Timtia,
Uttarakhand 262553, India
Lat 29.94125° Long 80.140936°
23/02/25 12:13 PM GMT +05:30

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PROPOSED WORK

RAMGANGA RIVER

